ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
© IJMRAST | Vol. 3 | Issue 9 | September 2025
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: 1https:/doi.org/10.61778/ijmrast.v3i9.182

भारत में जनजातियों का संरक्षण समस्याएं एवं मुद्दे

Neetu Chaudhary[1], Prof. Shyam Singh[2]
[1]Research Scholar, Department of Geography, Hindu College, Moradabad
[2]Professor and Supervisor, Department of Geography, Hindu College, Moradabad
[1]E-mail: neetuchaudhary918@gmail.com

सारांश

यह शोध पत्र भारत की जनजातियों के संरक्षण, समस्याएं व मुद्दों का विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस व 15 नवंबर 2021 में भारत में जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की गई। इस प्रकार के दिवस घोषित करने व अन्य सरकारी कार्यक्रमों की सार्थकता की जांच के लिए शोधपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। भूतकाल में जनजातियों की क्या स्थिति थी? सरकारी योजनाएं कितनी सफल रही है? और भविष्य की चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिए? आदि प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास इस शोध पत्र में किया गया है।

पूर्व औपनिवेशिक, उत्तर औपनिवेशिक व वर्तमान परिपेक्ष में जनजातियों की स्थिति स्पष्ट करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, नीतियां, कार्यक्रम व जनजाति समाज पर प्रभाव आदि मुद्दों पर चर्चा की गई है। यह शोध पत्र जनजातियों के चौमुखी विकास के लिए सिफारिश प्रस्तुत करने के साथ-साथ समावेशी विकास के मुद्दों के महत्व का विश्लेषण करके भविष्य के लिए समाधान प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : जनजातीय विकास, नीति निर्धारण प्रभावशीलता, संरक्षण, समावेशी विकास, सरकारी नीतियाँ।

प्रस्तावना

व्यक्तिगत लाभ से पूर्व समुदाय को प्राथमिकता देने वाले पारंपरिक सामाजिक समूह को जनजाति कहा जाता है भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% भाग अनुसूचित जनजाति के रूप में निवास करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम से पूर्वी यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में जनजाति किसे कहते हैं 'ट्राइब्स' शब्द लैटिन भाषा के शब्द ट्राइब्स से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है एक निवास स्थान ट्राइब के विषय में अलग–अलग विद्वानों द्वारा अलग–अलग मत बताए गए हैं इसी क्रम में सर ई0बी0 टाइलर के शब्दों में यह पहाड़ी व विरल इलाके में कठिन संचार के साथ रहने वाले लोग सामाजिक जीवाश्म थे उनका मानना था कि इनका अध्ययन मानव अस्तित्व के ऐतिहासिक चरणों को उजागर करेगा (ट्राइब्स इन इंडिया)।

काका कालेकर आयोग 1953 के अनुसार, ''वे एक अलग अन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों के मुख्य धारा से पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए हैं वह किसी भी धर्म को के हो सकते हैं।''

1931 जनगणना के अनुसार, ''वही बहिष्कृत व आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र में रहने वाली पीढ़ियाँ व लोगों को जनजाति कहा जाता है।

विश्व जनजाति दिवस 2024 की थीम स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों का संरक्षण यह स्पष्ट कर देता है कि समाज का वह हिस्सा जो अपनी सांस्कृतिक और

सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार समाज से लगाव रखता है। प्रायः जनजाति कहकर संबोधित किया जाता है।

उपरोक्त परिभाषाओं से इस समुदाय द्वारा पूर्व में उठाई गई चुनौतियों को समझा जा सकता है आजादी पूर्व व बाद की सरकार द्वारा इस समूह के लाभ के लिए अनेक कार्य किए गए। आजादी के बाद आयोग निर्माण, संविधान संशोधन व कार्यक्रम, नीतियों का विकास प्रत्येक क्षेत्र के लिए किया गया। जिससे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। महात्मा गाँधी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए जनजाति समूह को अपने साथ विकास के पद पर लाना आवश्यक है जिससे एक स्वास्थ्य कल्याणकारी समाज का निर्माण किया जा सके।

उद्देश्य

- ऐतिहासिक घटनाओं से वर्तमान स्थिति की जांच करना।
- जनजातीय क्षेत्रों में मौजूद विविधताओं के अनुरूप नीति निर्धारण करने के लिए सुझाव देना।
- भारत में जनजातीय संरक्षण में आने वाली समस्याओं को उजागर करना।
- सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता की जांच करना
- आदिवासी आबादी के दीर्घ कालीन सुधार व समावेशी विकास के लिए रणनीतियाँ को रेखांकित करना।

परिकल्पना

- भारत में जनजातीय समुदायों का संरक्षण उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संसाधनों पर आधारित है।
- इन समुदायों को संरक्षण में प्रमुख बाधाएं उनकी शिक्षा का अभाव, आर्थिक असमानता, संसाधनों पर अधिकारों का हनन, तथा सरकारें और समाज की नीतियों में समन्वय की कमी हैं।
- यदि इन समस्याओं का समाधान समग्र दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी से किया जाए, तो जनजातीय समुदायों का सतत विकास और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रदत्त संग्रहण एवं क्रियाविधि

यह शोध मुख्य डाटा विश्लेषण पर आधारित है इसमें जनजातीय पर सरकारी नीतियों कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण व्यवस्थित व तर्कसंगत प्रक्रिया द्वारा किया गया है। गुणात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक विधि द्वारा निष्कर्ष निकलने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकाशित व प्रकाशित जानकारी जैसे जीवनी, डायरिया अभिलेख, समाचार पत्रों इंटरनेट के प्रयोग द्वारा और विभिन्न प्रकार की सरकारी साइटों के द्वारा डाटा एकत्रित करके विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण व संश्लेषण विधि के द्वारा मात्रात्मक तथ्यों को गुणात्मक रूप में प्रस्तुत करके जनजातियों की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक परिस्थितियों का तुलनात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें सरकार के विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट व सर्वेक्षण का भी प्रयोग किया गया है।

परिणाम व चर्चा

- ऐतिहासिक संदर्भ में जनजातियों की स्थिति

पूर्व औपनिवेशिक काल

शंकराचार्य द्वारा अद्वैत में सोहम् की अवधारणा पर बात की गई अर्थात् सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने की बात करते हैं इससे बढ़कर जनजातियों के द्वारा प्रत्येक पौधे, पशु–प्राणी, वनस्पति में प्रभु का दर्शन किया जाता है जिसको आज विज्ञान भी सिद्ध करता है पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सभी में जीवन होता है

और सभी के अंदर भावनाएं होती है। क्या वास्तव में इस स्तर तक की चेतना के व्यक्ति को जंगली पिछड़ा या असभ्य कहना उचित होगा। ईश्वर और मानव के मध्य प्रत्येक धर्म में एक मध्यस्थ का वर्णन किया गया है, किंतु आदिवासी समाज में एक ईश्वर और उसके पुत्र के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होता है ना ही पवित्र पुस्तक होती है नहीं पवित्र व्यक्ति ना ही पवित्र पूजा स्थल वह प्रकृति से प्रेम करते हैं वह प्रकृति की पूजा करते हैं आदिवासियों में ना कोई गोत्र होता है यदि यदाकदा गोत्र हुआ भी तो धान, कौवा आदि प्राकृतिक वनस्पति और जीवों के नाम पर किए जाते हैं। आदिवासी द्वारा किसी प्रकार के हलर से बाघ, सुअर से अलग त्यौहार पशु सेवा और फसल उत्साह के रूप में बनाए जाते हैं प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतु में ईश्वर का रूप देखने वाले इन मनुष्य का हृदय का आयतन का विस्तार उन्नत होता है यह समाज समुदायिकता में विश्वास करते हैं। यह समाज सामुदायिक रूप से कृषि करते हैं उत्साह मानते हैं मेहमान नवाजी करते हैं न ही इसमें कोई वर्ण व्यवस्था होती है और ना ही कोई पदानुक्रम होता है गांव में यदाकदा कुछ जातियां गांव के प्रमुख के रूप में कुछ पदानुक्रम होता है किंतु वह भी उतना ही श्रमपूर्वक खेतों में काम करते हैं जितना की एक मजदूर इस समाज में कोई ऊँचा–नीचा नहीं होता है यदि इसके इतिहास की बात की जाए तो जनजातियों का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण रहा है। भारतीय दर्शन शास्त्रों रामायण पुराणों भागवत आदि में जनजातियों को बड़े ही आदर रूप में दिखाया गया है एकलव्य हिडिंबा घटोत्कच शबरी आदि को हमारे वेदों द्वारा सम्मान दिया गया है इसी प्रकार आधुनिक इतिहास में भी विभिन्न प्रकार की आंदोलन के द्वारा जनजातियों की वीरगाथा से हम परिचित होते हैं। यह समाज मातृ सत्तात्मक रहा है इस समाज में माता को सम्मान व बराबरी का अधिकार दिया जाता रहा है। जब रोहतास के किले पर आक्रमण हुआ तो सिनकीदाई व केला दाई द्वारा वीरतापूर्ण युद्ध किया। वही हम गोंड विद्रोह में रूवियाँ व धुनिया गोंड परिवार की पुत्री ने अपनी वीरता से इतिहास को गौरवअंकित किया है संथाल विद्रोह में फुलों और जाहनों द्वारा मातृसत्यात्मक समाज और महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है। मौर्य वंश में चाणक्य द्वारा इन जनजातियों का वर्णन और वीरता का अनुमान उनके द्वारा समुदाय को अलग करने की रणनीति से समझा जा सकता है इसके अतिरिक्त धनुष बाण और युद्ध की स्थिति में दिखाए जाने वाले इन जनजातियों ने आजादी के बाद भी अपनी भूमि के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन की मांग की है इस प्रकार से जनजातियों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है वह समाज की मुख्य अवधारणा तथा संसाधनों के शोषण ऊंची ऊंची बिल्डिंग निमार्ण विकासवाद से अलग अपना एक अस्तित्व रखते हैं इसलिए निश्चित हो जाता है कि केवल आज वह अपनी जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं उसके लिए यह आधुनिक और विकसित समाज ही जिम्मेदार है जिसके लिए सरकार द्वारा प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

उत्तर औपनिवेशिक काल

देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने में जनजातियों का विशेष स्थान रहा है औपनिवेशिक काल में जनजातियों द्वारा आध्यात्मिक व राजनीतिक लोक नेत्री रानी गईदुआ जनजाति की महिला की कृति को कभी नहीं भूल जा सकता है 13 वर्ष की उम्र में हेयर का आंदोलन में अपने भाई है। हुआ जादू नाग के साथ ब्रिटिश मशीनरी के खिलाफ जाकर नगर जनजातियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण के लिए विद्रोह किया जिनको पहाड़ों की बेटी के नाम से संबोधित किया जाता है। पद्म विभूषण व तटरक्षक पोत का नाम और उनके नाम पर चलाये गए सिक्कों से सरकार द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया है। जुगाड़ विद्रोह संथाल विद्रोह, गला, विद्रोह, रंपा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तन भक्त विद्रोह कोकी विद्रोह, खाया विद्रोह, गुण विद्रोह आदि विद्रोह के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना वर्चस्व और सम्मान की लड़ाई के लिए संघर्ष किया गया इसके प्रमुख नेता तिलकामांझी टिकेंद्र जीत सिंह वीर सुरेंद्र साइन तेलंगा खड़िया वीर नारायण सिंह सिद्धू कानू मुर्मू रुपए रूपचंद कोतार लक्ष्मण आदि थे।

आदि विद्रोह में जल जंगल और जमीन के लिए जनजाति समुदाय द्वारा किए गए संघर्ष ने ब्रिटिश जड़ों को हिलाकर रख दिया था अर्थात उपरोक्त कथन और विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है की जनजातीय समुदाय आथक प्रयास अपवर्तन द्वारा प्रगति और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है।

1833 के रेगुलेशन XIII ने गैर–विनियमित प्रातों का निर्माण नागरिक अपराधी को भू राजस्व के लिए विशेष नियम का निर्धारण।

1873 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंग्रेजों ने आंतरिक रेखा विनिमय को लागू किया इस क्षेत्र पर सामान्य कानून लागू नहीं होते थे और इस क्षेत्र में बाहरी है शासित का प्रवेश वर्जित था।

1931 जनगणना में बहिष्कृत व आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र में रहने वाली पिछड़े लोगों को पिछड़ी जनजाति कहा गया है।

1935 के भारत सरकार अधिनियम में पहली बार प्रांतीय विधानसभा में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए आहान किया गया था।

इस प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्वी ब्रिटिश सरकार व जनजाति समुदायों के मध्य अधिकारों के लिए संघर्ष देखा गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान संदर्भ में अनेक व्यक्तित्व द्वारा जनजाति समुदाय समझाया जा सकता है

वर्तमान संदर्भ में

जयपाल सिंह मुंडा आधुनिक भारत के प्रमुख उदाहरण है जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू यूनिवर्सिटी में शिक्षा का किताब पाने के अतिरिक्त एक आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने जीवन काल के संघर्ष के द्वारा जनजातीय समुदाय ही नहीं अपितु जन सामान्य के लिए भी एक गौरव और हर्ष का विषय है।

मध्य प्रदेश की एक भील कलाकार भूरी बाई का जन्म मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के पिटोल गाँव में सबसे बड़े आदिवासी समूह, भीलों के समुदाय में हुआ है। उनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कलाकारों को दिए गए सर्वोच्च राजकीय सम्मान सहित कई पुरस्कार जीते हैं। उन्हें 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त वर्तमान संदर्भ में अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा देशहित के लिए कार्य किया जा रहा है।

स्वतंत्रता के बाद (1947 वर्तमान)

संवैधानिक प्रावधान

- 1950 में अनुच्छेद 342 में ब्रिटिश शासन में वर्गीकृत जनजातियों को पुनः वर्गीकृत किया गया।
- अनुसूचित भौगोलिक क्षेत्र के लिए छठी व पांचवीं अनुसूची द्वारा अलग प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावध किया गया।
- पांचवा अनुसूची द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया जिसमें आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल झारखंड एमपी महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान व तेलंगाना शामिल थे।
- लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विधिक व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायत के प्रावधन (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 को स्वीकार किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले मुख्य भूभाग से अलग रखे गये पूर्ववर्ती असम व जनजाति बहुल क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची का प्रावधान लाया गया (भाग 12) में।

- संविधान में अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं है हालांकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया प्रदान करता है अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसे जनजातीय वह जनजातीय समुदाय या उनके भाग्य समूह से है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के तत्व अनुसूचित जनजातीय माना गया है।

342 (1) राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के प्रमोदन के बाद किसी समुदाय या व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन भी समय–समय पर किया गया है जो निम्न प्रकार हैं।

1. एलविन कमेटी (1959) बहु उद्देशीय विकास खंड जाँच के लिए
2. यू. एन ढेबर आयोग (1960) PYTGs भूमि अलगाव समग्र स्थिति
3. लोकुर समिति (1965) अनुसूचित जनजाति घोषित मानदण्ड आदित्य लक्षण विशिष्ट संस्कृति भौगोलिक अलगाव सेडे पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन।
4. शीलू ओ समिति (1966) जनजातीय विकास एंव कल्याण के मुद्दे
5. भूरिया समिति (1991) PESA Act 1996 के अधिनियमित होने का मार्ग
6. भूरिया आयोग (2002 2004) 5th अनुसूची, भूमि, वन स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचामत व महिला स्थिति मुद्दे
7. बंदोपाध्याय समिति (2006) वामपंथी व चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में विकास व शासन पर विचार
8. मुजेकर समिति (2005) प्रशासन और शासन के मुद्दों का परीक्षण
9. शाशा समिति : आजीविका व रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य अनैच्छिक विस्थापन और प्रवासन विधिक एवं संवेदिक मामलों का अध्ययन

विभिन्न निकाय

- 1999 में जनजाति कार्यालय मंत्रालय
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय 89th संविधान संशोधन 2003
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय एवं विकास निगम सतत आधार पर सामाजिक आर्थिक और विकास
- भारतीय जनजाति सहकारी विभाग और संघ लघु वन उत्पाद को संस्थागत बनाना।

जनजातीय उप योजना

जनजातीय विकास के लिए जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) रणनीति का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय आबादी में पिछड़ेपन के मुद्दों को एकीकृत तरीके से स्पष्ट करना है। इसके द्वारा जनजातीय लोगों और सामान्य समुदायों की आजीविका के बीच अंतर को न्यूनतम करना है।

वन अधिकार अधिनियम

वर्ष 2006 में अधिनियमित वन अधिकार अधिनियम वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों को वन संसाधनों के अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है। इन समुदाय की आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिकसांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिये निर्भर है।

सरकारी योजनाएं

पंचायत (PESA) 1996

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1922 में पैसा कानून लाया गया। किंतु अनुच्छेद 243 (एम) के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग प्रतिबंधित था। 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के बाद

जनजातीय स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया। राज्य विधान मंडलों द्वारा पंचायत के लिए सलाहकार की भूमिका निभाते हुए पेसा कानून से ग्राम सभा को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। भारत में जनजातीय कानून की रीढ़ के रूप में पैसा कानून को माना जाता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार ,जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आस्था एवं संस्कृति का संरक्षण आदि अधिकार ग्राम सभाओं को दि गए।

शिक्षा

आदिवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1950 से लेकर वर्तमान नीति तक प्रमुख श्कार्य किए गए हैं। जनजातीय आवासीय विद्यालय और छात्रावास आश्रम स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि संचालित प्रमुख योजनाएँ हैं।

- **आश्रम विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना** : उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आश्रम विद्यालय राज्य की जिम्मेदार पर संचालित हो रहे हैं।
- **पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** : पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट–मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले एसटी छात्रों प्रदान किया जा रही है।
- **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** : प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों के लिए है।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय** : जनजाति छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्य और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में 480 छात्रों की क्षमता के साथ एकलव्य स्कूल स्थापित किए गए हैं। माय फेवरेट स्कूल की स्थापना राज्य द्वारा की गई मांग के आधार पर की जाती है ऐसे स्कूलों का वित्त पोषण राज्य की सरकार द्वारा किया जाता है।
- **राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना** : पीएचडी और पोस्ट–डॉक्टरल अध्ययन के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुने गए 20 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्वास्थ्य संबंधित नीतियां

- भारत सरकार एन.एच.एम के तहत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं के क्रियान्वयन में राज्यों जनजातीय क्षेत्रों को सहायता दे रही है।
- जिन जिलों का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य औसत से कम पाया गया, उनको उच्च प्राथमिकता वाले जिलों घोषित किया गया। एनएचएम के तहत राज्य के बाकी जिलों की तुलना में इन राज्य को प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन प्रदान किए गए हैं।
- सी सेक्शन करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल प्रशिक्षित डॉक्टरों की नियुक्ति जनजाति बहुल क्षेत्र में की गई है। ऐसे दूरस्थ व कठिन क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए चिकित्सकों को हार्ड एरिया भत्ते वह विशेष पैकेज प्रदान किए गए हैं। ”आप बोली लगाएं, हम भुगतान करें” कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहे हैं।
- दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार भी शुरू किया गया है।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा प्रारंभ की गई है।

आयुष्मान भारत मिशन

- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
- भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का प्रावधान।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक नकदी रहित एवं कागज रहित बनाना।

जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना

- जनजातीय समुदायों से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना।
- कुपोषण, एनीमिया तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने।
- समुदाय आधारित हस्तक्षेप और स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

आर्थिक विकास

- जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए लक्षित वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना।
- जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में धन का आवंटन करना।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ज्ञान अभियान : भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक बुनियादी ढाचें को कम करना है। 17 मंत्रालय द्वारा निम्न योजनाओं को लागू किया जायेगा।

1. पक्का आवास
2. जल जीवन मिशन
3. आयुष्मान भारत कार्ड
4. सड़क सम्पर्क
5. भारत नेट
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
7. समग्र शिक्षा
8. पोषण अभियान
9. कौशल भारत अभियान
10. वन अधिकार अधिनियम
11. सकल नामांकन अनुपात
12. मोबाइल मेडिकल इकाई
13. पी0एम0 गति शक्ति
14. पोर्टल (मानचित्रण)
15. अभिनव योजना 2014–15 पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना
16. पर्यटक होमस्टे 5 लाख तक की सहायता का उद्देश्य रखा गया जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षमता का अधिकतम दोहन व जीविका के अधिकतम स्रोत को बढ़ाना है। यह परियोजना 63 हजार गांव में लागू की गई।

वित्तीय घोषणा 5 वर्ष के लिए 791156 वित्त पोषण के साथ राज्य व केंद्र सरकार के माध्यम से बंटवारा किया गया।

लक्षित जनजाति गांव में 1000 होमस्टे स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया पर्यटन क्षमता वाले गांव में 5 से 10 होमस्टे सरकार द्वारा बनाए जाएंगे इसमें 5 लाख से 3 लाख तक के धनराशि देने की बात रहेगी।

टिकाऊ कृषि को बढ़ावा

- अपना अधिकार अधिनियम 2006 वनों में रहने वाले लोगों की वन भूमि पर मान्यता प्रदान की गई जिससे रोजगार के संसाधनों में वृद्धि हुई।
- पाटीदार को स्थाई कृषि क्षेत्र में रूपांतरित किया गया।
- वन संरक्षण संसाधनों के रखरखाव को बेहतर आजीविका के साधन के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए कदम उठाए गए।
- जून 2024 तक एफ आर ए फॉरेस्ट राइट एक्ट वर्षों से भूमि पर कृषि करने वाले जनजाति लोगों को मलिकाना हक प्रदान किया गया।
- जनजातीय क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार के मंत्रालय द्वारा लगभग 24 लाख से अधिक एकड़ भूमि पर 1.9 करोड़ लक्ष्य की योजनाएं आरंभ की गई।
- 10 लाख समुदाय व एक लाख लोगों को मछली पालन की सुविधा के लिए धन प्रदान किया गया।
- व्यक्तिगत व सामुदायिक समुदाय के लिए पशुपालन सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान की गई।

वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) :

गुजरात मॉडल पर आधारित इस योजना में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए सहायक वातावरण बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों और विकास की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को प्रभावी ढंग से आरंभ किया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र :

(2009 में संशोधित) यह योजना सरकारी/गैर–सरकारी/स्वैच्छिक/सहकारी के द्वारा इस योजना का उद्देश्य जनजातीय युवाओं की शैक्षिक योग्यता, वर्तमान आर्थिक स्थिति और बाजार क्षमता के अनुरूप विभिन्न पारंपरिक/आधुनिक व्यवसायों में उनके कौशल को उन्नत करके रोजगार लक्ष्य के करीब पहुंचना है।

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए चलाई जाने वाली परियोजनाएं

जनजातीय बोलियों और भाषाओं का विलुप्त होना भी चिंता का एक अन्य कारण है, क्योंकि यह जनजातीय पहचान के क्षरण का संकेत है। नागा मिर्चा, नागा वृक्ष टमाटर, नागा मीठी ककड़ी चाखेसांग शॉल, बोडो नाफम, बोडो बोडो ग्वखा बोडों नार्जी बोडो अरोनाई को जी आई टैग दिया गया है। आदि प्रकार की परियोजना द्वारा जनजातियें संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

संविधान के अनुबन्धों द्वारा जनजाति संरक्षण के कार्य

अनुच्छेद 15(4) : अन्य पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जनजातियाँ) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनुसूचित जनजातिया)

अनुच्छेद 46 : कमजोर वर्गों मुख्यत अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाएगा।

अनुच्छेद 350 : विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, इसके लिए सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के सदस्य को विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है।

झाबुआ के रहने वाले रमेश और शांति परमार को आदिवासी गुड़िया के लिए 2 लाख की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की की गई है। रोज़ केरकेट्टा, (झारखण्ड) भूरी बाई, (झाबुआ) दुर्गा बाई व्याम (सुनपुरी, डिण्डौरी)। आदि जनजातियों को सम्मानित किया गया। विभिन्न जनजातिय व्यक्तियों को

पद्म श्री, पद्म भूषण द्वारा पुरूस्कृत किया गया है। जैसे चामी मुर्मू, जागेश्वर यादव, सोमण्णा, स्मृति रेखा चकमा, पर्वती बरूआ, संगथाकिंमा, के चेल्लामाल आदि से जनजाति समाज प्रोत्साहित होता है।

स्वयं सहायता समूह

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ी जाति के गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है।
- नेशनल स्कैड्यूल्ड ट्राइब्स फ़ाइनेंस ऐंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
- माइक्रो क्रेडिट चलने वाली संस्था द्वारा आदिवासी समुदाय के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लोन मिलता है।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

इस योजना के द्वारा अनुसूचित जनजातीय महिलाओं को कम दरों पर लोन दिया जाता है। मुख्यतः चाय जनजाति समुदाय की महिला पारिवारिक आय और आजीविका बढ़ाने के लिए आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जा रही स्कीम है।

जनजातीय विकास की समस्याएं

- शहरीकरण और औद्योगीकरण
- सामाजिक–सांस्कृतिक कारक
- वन नीति और आदिवास
- रूढ़िवादिता और परिवर्तन के प्रति अनिच्छा
- भूमि– अलगाव
- ऋणग्रस्तता
- पहचान–संकट
- साक्षरता और शिक्षा का अभाव
- बेरोजगारी
- विस्थापन और पुनर्वास
- स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता

संभव और संभावित उपाय

जातीय जनजातीय उप–राष्ट्रवाद जनजातीय समुदाय की प्रगति के लिए गंभीर चुनौती संदर्भित करता है जनजातियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया तो तो यह समाज और जनजातियों के मध्य विकासात्मक अलागव को ओर गहराई से विकसित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त खदानों से कोयले के लिए जनजातीय भूमियों का तेजी से अधिग्रहण जारी है। जिससे इस समुदाय के आवास व जीविका के साधन तेजी से खत्म हो रहे हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि इस मुद्दे को एक बहुदीर्घ सिद्धांत और एक सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भारतीय समाज में व्यावहारिक समाधान खोजा जाए।

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में 'जनजाति' (जनजाति) शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि 342 के माध्यम से संविधान में जनजाति जनजाति (अनुसूचित जनजाति) शब्द को शामिल किया गया है।

संविधान की पाँचवीं के अनुसार प्रत्येक राज्य में 'जन जाति सलाहकार परिषद' की स्थापना का प्रस्ताव है।

अनुच्छेद 15(4) : सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी मौजूद आदिवासियों के विकास के लिए विशेष रूप से उपबंध किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक जनजाति के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।

अनुच्छेद 46 : सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण द्य

अनुच्छेद 350 : भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए विशेष अधिकारी को प्रस्तावित किया गया है।

राजनीतिक प्रबंध

अनुच्छेद 330 : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में सीटें आरक्षित करता है

अनुच्छेद 332 : अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए राज्यों की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करता है।

सरकारी नीतियां

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- ट्राइफेड जन संस्थाओं का डिजिटल रूपांतरण
- प्रधानमंत्री वन धन योजना आदि पूर्व में बताई गयी नीतियों के उचित क्रियान्वन से जनजाति की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

भौगोलिक स्थिति, बिखरी हुई आबादी और आदिवासी गांवों की दुर्गमता जैसे कारकों के कारण जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की स्कूल तक पहुंच को कठिन बनाते हैं।

स्कूल की उपलब्ध सुविधाओं के बाद भी कार्यबल में बच्चों की समयपूर्व भागीदारी, घोर गरीबी, घर में शिक्षा समर्थक संस्कृति का अभाव, प्रवासी आदि के परिणामस्वरूप जल्दी छोड़ना की उच्च दर बनी हुई है।

महिलाओं की स्थिति में गिरावटरू प्रकृति का संरक्षण जंगलों के विनाश के कारण युवा महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए खतरा पैदा हो रहा है जिससे आहार की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं।

आतंकवादी और गिरोह

आतंकवादी व गिरोह आदिवासियों के साथ आदिवासियों के लिए आय अर्जन के लिए लालच के कारण अधीनस्थ होने की संभावना बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वस्तुकरण की स्थिति बनी हुई है।

बड़े पैमाने पर निवेश :

बिजली परियोजनाएँ, उद्योग और बड़े पैमाने पर बाँध निर्माण से अधिक जनसँख्या वाले क्षेत्र में जनसंख्या विस्थापित हो रही है इन के लिए सरकार द्वारा जन–जातीय भूमि के अधिग्रहण से जन–जातीय आबादी का बड़े पैमाने पर किया विस्थापन की समस्या को कम करने के लिए पुन स्थापित करने के अनेकों प्रयास किए गए हैं।

नेशनल पार्क अभ्यारण्य और इको पार्को

इनके आवास व संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इसका प्रभाव उनके जीविका बेरोजगार के साधनों पर भी देखा गया है। जिससे उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही

हैं। वर्ष 2014 में कान्हा टाइगर रिज़र्व के मूल निवासी बागा और गोंड कॉलोनी के लगभग 450 परिवारों को बाहर कर दिया गया था।

मूलनिवासी पहचान का क्षरण :

पहचान पत्र व कागजी दस्तावेजों के अभाव में इस समुदाय के लोग अपनी मूल पहचान बनाए रखने के बारे में चिंतित रहते हैं।

जनजातीय बोलियाँ

भाषा समझने में आई समस्याओं के कारण जनजातियों की समस्या अधिक बढ़ जाती है जिससे वह सरकार के मध्य अपने पक्षो को नहीं रख पाते है।

सामाजिक एवं मानसिक समस्याएँ :

जन–जातीय लोग सामाजिक और विशिष्ट भेदभाव के परिणामस्वरूप सामाजिक बहिष्करण का अनुभव करते हैं, जो उन्हें फिर से एक दूसरे के प्रति और आत्म– बहिष्करण की ओर प्रेरित करता है। जनजातीय लोगों को विकास गतिविधि उनके घर में घुसपैठियों की तरह महसूस होती है। परिणामस्वरूप, उन्हें दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है, और यह उनके लिए मनोवैज्ञानिक चिंता का कारण बनता है क्योंकि वे अन्य जीवन शैली और विचारधारा को पूर्ण सा स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं।

स्वास्थ्य और पोषण की समस्या :

आर्थिक पिछड़ापन के कारण जनसंख्या मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारी से प्रभावित है। यह बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं जैसे आयरन की कमी एवं नुकसान, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि के रूप में विकास के लिए चुनौतीपूर्ण है।

समाधान : चुनौतियों से निपटने की रणनीतियाँ

शुरुआत और डिजिटल समता

एकलव्य मॉडल स्कूल के डिजिटलीकरण और जनजातीय क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं नामांकन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कार्य किए गए हैं।

जनजातीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी उपाय

इसके लिए महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में मिलने का प्रयास किया जा रहा है इसके साथ ही नामांकित महिला अभ्यर्थियों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं पीड़ित महिलाओं के लिए वेश्यावृत्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की कार्य करने वाली महिलाओं को समय–समय पर पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया जाता है।

आदिवासियों को मुख्यधारा में लाना

देश की एकता व अखंडता को और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाना के लिए गैर – जनजाति आबादी को जनजातीय लोगों की क्षमता से परिचित कराने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त उनके गौरवपूर्ण इतिहास के द्वारा समाज में एक बनी बनाई अवधारणा को खत्म करके गरिमा पूर्ण गौरव को सामने रखने की आवश्यक

लोकल टू ग्लोबल

सरकारी वनों से औषधीय की पहचान एवं उनके संग्रह के लिए जे. पी. एल. एस. के साथ सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर के स्व–उपभोग के साथ–साथ स्थानीय राज्यों में बिक्री के लिए उपयुक्त फसल पशुधन की खेती को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

भारतीय औषध सहभागी को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।

भूमि अधिकार और विस्थापन

विकास परियोजनाओं, खनन और अन्य गतिविधियों के कारण कई आदिवासी समुदा अपनी पारंपरिक भूमि से विस्थापित हो गए हैं।

इसके कारण उन्हें अपनी आजीविका, घर और सांस्कृतिक विरासत खोनी पड़ी है।

गुजरात में सरदार सरोवर बांध के कारण हजारों आदिवासी लोग अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित हो पाएं हैं। इन समुदाय को पुनः स्थापित करने की सरल प्रक्रिया का प्रयोग होना चाहिए।

शोषण और हाशिए पर डालना

सरकारी अधिकारियों, जमींदारों और व्यापारियों जैसे शक्तिशाली समूहों द्वारा अक्सर जनजातियों का शोषण किया जाता है और उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाता है।

ओडिशा राज्य में आदिवासी आबादी खनन कंपनियों द्वारा शोषण का सामना कर रही है, इसके लिए सरकार को कठोर कानून बनाने व उचित क्रियान्वन की आवश्यकता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का अभाव

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित है, जिससे समग्र कल्याण और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जनजातिय समूह की अनेक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कुपोषण, उचित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अभाव तथा संक्रामक रोगों का उच्च स्तर। जनजातीय आबादी में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

संस्कृति और परंपरा का नुकसान

आधुनिकीकरण और अपनी पारंपरिक जीवन शैली के क्षरण के कारण जनजातियों द्वारा अपने पारंपरिक रीति–रिवाज, भाषा और कलाएं खो दीं। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण ग्रेट अंडमानी जनजातियों की पारंपरिक प्रथाएं और अनुष्ठान विलुप्त होने के कगार पर इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं।

आर्थिक हाशिए पर

कृषि, वानिकी और शिकार जैसे पारंपरिक आजीविका के तरीकों में लगे हुए हैं, जो आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण कम व्यवहार्य होते जा रहे हैं।

वन संसाधनों की उपलब्धता में कमी और खनन के प्रभाव के कारण झारखंड में मुंडा जनजातियों की पारंपरिक आजीविका खतरे में है। इसके लिए औद्योगिक विकास को सत्त विकास में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

राजनीतिक हाशिए पर

राजनीतिक प्रक्रिया में उनका उचित प्रतिनिधित्व न हो पाने के कारण नीति–निर्माण प्रक्रिया में जनजातियों की आवाज नहीं सुनी जाती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और सरकार द्वारा उनके समस्याओं पर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इसमें सुधार किया जाए तो इस समस्या को कम किया जा सकता है।

चुनौतियों से निपटने की रणनीति

सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण :

आदिवासी समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए जनजातियाँ लोगों द्वारा सम्मान करने की प्रेरणा दी जाये। पारंपरिक प्रथाओं व कौशल को प्रोत्साहित करें, तथा उनके पवित्र परम्पराओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों की रक्षा करें।

सामुदायिक सशक्तिकरण :

जनजातीय समुदायों को उनके जीवन और संसाधनों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। उनकी पारंपरिक शासन प्रणालियों और सांस्कृतिक संस्थाओं को मान्यता दें और उनका समर्थन करें। साथ–साथ उसमें सम्बन्धित अमानवीय पराम्पराओं को मनोवैज्ञानिक द्वारा समझाया जाये।

भूमि अधिकार

सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि पर स्पष्ट और निर्विवाद स्वामित्व मिले। भूमि हस्तांतरण के मुद्दों का समाधान करें और अवैध भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जल, जंगल, जमीन सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनायें।

जागरूकता और संवेदनशीलता :

सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता के बीच आदिवासी समुदायों के अधिकारों और मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को स्कूल स्तर पर आरम्भ करें। इन समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाएँ।

अलग–थलग जनजातियों की सुरक्षा :

प्रत्येक जनजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सतर्कता बरतें। उनके जीवन में किसी भी हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए ष्आँखें खुली रखें, हाथ न लगाएँ" नीति को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

कानूनी संरक्षण :

वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को प्राथमिकता तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जो जनजातीय समुदायों के उनकी पैतृक भूमि पर अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें सुरक्षित करता है।

समावेशी विकास :

आदिवासी क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं स्थानीय समुदायों की पूर्ण सहमति और भागीदारी से चलाई जाएं। परियोजनाओं का उद्देश्य आदिवासियों की आजीविका को ऊपर उठाना और उनकी संस्कृति को संरक्षित करना होना चाहिए, न कि विस्थापन और शोषण का कारण बनना। यदि ऐसा होता है तो अलगाव अधिक बढ़ जाता है।

पुनर्वास और मुआवज़ा :

विकास परियोजनाओं से प्रभावित आदिवासी समुदायों का उचित पुनर्वास और मुआवजा की प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए। विस्थापित जनजातियों को उचित मुआवज़ा, पर्याप्त आवास और स्थायी आजीविका के अवसर मिला या नहीं। इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा :

आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सरल बनायें। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का निर्माण और बुनियादी ढाँचे में सुधार से आदिवासी समुदायों को लाभ व भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रोजगार के अवसर :

आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। इससे शोषणकारी श्रम बाजारों पर निर्भरता कम होगी और स्थायी आजीविका के विकल्प उपलब्ध होंगे। प्राथमिक क्षेत्र के अतिरिक्त द्वितीय वर्तमान क्षेत्र के कार्यो में जनजातिय लोगों को निपुर्ण बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत में आदिवासी राष्ट्र का एक अभिन्न अंग हैं। वे कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं। उन्हें भारत में सामान्य नागरिकों की अपेक्षा कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त उपायों को लागू करके और आदिवासी कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, भारत अपने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। जनजातीय समुदाय समृद्ध हो सकें तथा देश के अन्य नागरिकों के समान अवसरों और अधिकारों का आनंद उठा सकें। इस प्रकार के वातावरण को विकसित करने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है किंतु उचित क्रियान्वन व जागरूकता के अभाव के कारण विकास उस स्तर तक नहीं हो पा रहा है। जितने की सम्भावना है। भविष्य में जनजातिय युवकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रयोग से ही जनजातियों को मुख्यधारा में लाया जा सकता है।

References

[1]. National Health Mission. (2020). NHM Guidelines. Ministry of Health And Family Welfare. Retrieved from https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=10475&lid=922

[2]. Government of India. (2021).Annual Report 2020-21. Ministry of Tribal Affairs. Retrieved from https://tribal.nic.in/reports/ annual report 2021 .pdf

[3]. Ministry of Human Resource Development. (2019). Sarva Shiksha Abhiyan: Framework for Implementation. Government of India. Retrieved from https://mhrd.gov.in/ssa-framework

[4]. Ministry of Skill Development And Entrepreneurship. (2017). Skill Development Programmes for Tribal Youth. Government of India. Retrieved from https://msde.gov.in/

[5]. Ministry of Health And Family Welfare. (2018).Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: Guidelines. Government of India. Retrieved from https://pmjay.gov.in/

[6]. https ://www. dristiias.com

[7]. चैटर्जी एस0के0 2000, एजुकेशनल लेपजनमेंट ऑफ शिड्यूल्ड कास्टस : लुकिंग अहेड, नयी दिल्ली, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस,

[8]. अहमद आई 2003, एजुकेशनल डेवलमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया

[9]. https ://www.indianculture.govin

[10]. https ://www. programs and policies for tribal Development Dr Bhimppa Rahgohhavor.

[11]. https ://egyunkosh.ac.in

Cite this Article

Neetu Chaudhary, Prof. Shyam Singh, **"*भारत में जनजातियों का संरक्षण समस्याएं एवं मुद्दे* "**, *International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), ISSN: 2584-0231, Volume 3, Issue 9, pp. 08-21, September 2025.*

Journal URL: *https://ijmrast.com/*

DOI: *https://doi.org/10.61778/ijmrast.v3i9.182*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.